न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–01/2020

पूर्णराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी 9 एन.डी.(ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

——प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

——अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

दिनांक–12.01.2021

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता खेताराम के नाम से चक 9 एनडी (ए) तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.–40/40 मुरब्बा नं. 6 के 10 बीघा व पत्थर नं.–40/48 के मुरब्बा नं.–7 में 13 बीघा कुल 23 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी के पिता का देहांत के उपरांत उपर्युक्त कृषि भूमि प्रार्थी व उसके भाई बहनों के नाम से विरासतन प्राप्त हुई है व वर्तमान मे राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व उसके भाईयों व बहन के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थी के पिता के मृत्यु के पश्चात प्रार्थी के भाईयों ने विरासतन ईंतकाल दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करते समय प्रार्थी के पिता स्वर्गीय खेताराम के वारिसों की फहरिस्त में प्रार्थी का घरेलू नाम माडूराम दर्ज करवा दिया तथा इसी अनुसार ईंतकाल में प्रार्थी का नाम माडू राम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही व वास्तविक नाम पूर्णराम है। जिसके सम्बंध में प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आई कार्ड व मूल निवास पत्र की फोटो प्रतियॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है। नाम गलत होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के घरेलू नाम माडूराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम पूर्णराम दर्ज करवाना चाहता है। अतः चक 9 एनडी (ए) तहसील अनूपगढ़ में पत्थर नं.–40/40 मुरब्बा नं. 6 के 10 बीघा व पत्थर नं.–40/48 के मुरब्बा नं.–7 में 13 बीघा कुल 23 बीघा कृषि भूमि की जमाबंदी में दुरूस्ती कर प्रार्थी के घरेलु नाम माडूराम के स्थान पर प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम पूर्णराम दर्ज करने का निवेदन किया है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। संलग्न दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड सं. 624227051087, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक आर.जे./02/011/0417076 दिनांक 15.05.1995, ग्राम पंचायत 11/12 एनडी का जारी परिवार राशन कार्ड सं. 200001780170 के अनुसार प्रार्थी का नाम पूर्ण राम है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार व संलग्न दस्तावेजो में अंकित नाम को मद्देनजर रखतें हुवे प्रार्थी के नाम माडूराम के स्थान पर माडूराम उर्फ पूर्णराम पुत्र खेताराम की दुरूस्ती प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वी[illegible]गढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 9 एनडी (ए) तहसील अनूपगढ़ में पत्[illegible]40 मुरब्बा नं. 6 के 10 बीघा व पत्थर नं.–40/48 के मुरब्बा नं.–7 में [illegible] जमाबंदी में दुरूस्ती कर प्रार्थी के घरेलु नाम माडूराम के [illegible] वास्तविक नाम पूर्णराम का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदे[illegible] को राजस्व रिकॉर्ड में अम[illegible] करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:33 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner